



महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

क्र: एफ-15/शोध/मदसविवि/ 2867

दिनांक : 23 /02/2017

शोध पर्यवेक्षक आवंटन अधिसूचना

1. सूचना क्रमांक: एफ-15/शोध/सूचना/मदसविवि/2016/912 दिनांक 10.12.2016 एवं क्रमांक: एफ-15/शोध/सूचना/मदसविवि/2016/670 दिनांक 13.01.2017 की अनुपालना में विश्वविद्यालय में पीएच.डी. शोधोपाधि हेतु शोध पात्रता परीक्षा त्ज 2016 उत्तीर्ण एवं त्ज 2016 में छूट प्राप्त अभ्यर्थियों ने शोध पर्यवेक्षक आवंटन किये जाने हेतु निर्धारित प्रपत्र में निर्धारित दिनांक तक अपनी सहमति प्रस्तुत की ।
2. इन अभ्यर्थियों को वरीयता के आधार पर विश्वविद्यालय के अध्यादेश 124.8;पद्ध के प्रावधानुसार विधि विषय की शोध पर्यवेक्षक आवंटन समिति की बैठक द्वारा आवंटित किये गये ।
3. इस समिति के कार्यवृत्त माननीय कुलपति महोदय द्वारा अनुमोदन के पश्चात् अभ्यर्थियों को निम्नानुसार शोध पर्यवेक्षक आवंटित किये जाते हैं :-

क्रसं.	शो.प.आ.समिति का विषय एवं बैठक की दिनांक	अभ्यर्थी का नाम	शोध पर्यवेक्षक का नाम एवं शोध केन्द्र जिसे अभ्यर्थी आवंटित किया गया	अन्य विवरण
1	विधि 21-02-2017	PRIYA PUROHIT	Dr. Sunil Kumar Govt Law College, Ajmer	
2	विधि 21-02-2017	MRADULIKA SHARMA	Dr. Sunil Kumar Govt Law College, Ajmer	
3	विधि 21-02-2017	SUNITA CHOUDHARY	Dr. Sunil Kumar Govt Law College, Ajmer	
4	विधि 21-02-2017	GAJENDRA SINGH	Dr. Sunil Kumar Govt Law College, Ajmer	
5	विधि 21-02-2017	AKANKSHA SHARMA	Dr. Sunil Kumar Govt Law College, Ajmer	
6	विधि 21-02-2017	MAHIPAL SINGH LAMROR	Dr.Rajesh Narayan Choudhary Govt Law College, Ajmer	
7	विधि 21-02-2017	JAI PRAKASH MEENA	Dr. D.K.Singh, Principal, Govt. Law College, Ajmer	
8	विधि 21-02-2017	MANEESH KUNDANA	Dr.Rajesh Narayan Choudhary Govt Law College, Ajmer	
9	विधि 21-02-2017	IQBAL QURESHI	Dr.Rajesh Narayan Choudhary Govt Law College, Ajmer	
10	विधि 21-02-2017	JAFAR IQBAL	Dr.Rajesh Narayan Choudhary Govt Law College, Ajmer	
11	विधि	KUSUM LATA SHARMA	Dr.Rajesh Narayan Choudhary Govt Law College, Ajmer	

	21-02-2017			
12	विधि 21-02-2017	HARI PRASAD REGAR	Dr.Rajesh Narayan Choudhary Govt Law College, Ajmer	
13	विधि 21-02-2017	SARIKA RAJ	Dr. D.K.Singh, Principal, Govt. Law College, Ajmer	
14	विधि 21-02-2017	AVINASH KUMAR CHAYAL	Dr. D.K.Singh, Principal, Govt. Law College, Ajmer	
15	विधि 21-02-2017	NARESH KUMAR MEENA	Dr. D.K.Singh, Principal, Govt. Law College, Ajmer	
16	विधि 21-02-2017	SATYAVEER SINGH MEENA	Dr. D.K.Singh, Principal, Govt. Law College, Ajmer	
17	विधि 21-02-2017	SURENDRA MEENA	Dr. D.K.Singh, Principal, Govt. Law College, Ajmer	
18	विधि 21-02-2017	KISHAN LAL KUMAWAT	Dr. D.K.Singh, Principal, Govt. Law College, Ajmer	
19	विधि 21-02-2017	RAMESHWAR	Dr. D.K.Singh, Principal, Govt. Law College, Ajmer	
20	विधि 21-02-2017	YOGENDRA KUMAR KUMAWAT	Dr. D.K.Singh, Principal, Govt. Law College, Ajmer	
21	विधि 21-02-2017	RAKESH YADAV	Dr. D.K.Singh, Principal, Govt. Law College, Ajmer	

उक्त आवंटन निम्नलिखित शर्तों पर किया जाता है :-८

1. अभ्यर्थी को संबंधित शोध केन्द्र के विभागाध्यक्ष अथवा प्राचार्य के समक्ष उपस्थित होकर आवंटित शोध पर्यवेक्षक के निर्देशन में **कोर्स वर्क** ज्वाइन करने हेतु अपनी ज्वाइनिंग रिपोर्ट अधिष्ठाता (डीन पी.जी. स्टडीज) को प्रस्तुत करनी होगी जिसके साथ कोर्स वर्क शुल्क रू. 5000/- का रेखांकित डिमांड ड्राफ्ट, जो कुलसचिव, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर के नाम हो, संलग्न होगा। ज्वाइनिंग रिपोर्ट शोध अनुभाग में जमा करानी होगी।
2. संबंधित अभ्यर्थी को **'कोर्स वर्क'** ज्वाइन करने की उपर्युक्त वर्णित कार्यवाही करने के लिए केवल 20 दिन का समय देय है जो इस अधिसूचना के जारी होने की दिनांक से माना जायेगा। यदि 20 दिन की अवधि में अभ्यर्थी अपने शोध केन्द्र पर उक्त प्रक्रियानुसार ज्वाइनिंग रिपोर्ट और अन्य शर्तों की पूर्ति नहीं करता है तो उसका आवंटन स्वतः ही निरस्त मान्य होगा तथा शोध अनुभाग द्वारा उसके स्थान पर प्रतीक्षा सूची में से अन्य अभ्यर्थी का आवंटन कर दिया जायेगा।
3. अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय के अध्यादेश 124.9 के प्रावधानों के अनुसार एक समसत्र 6 माह का कोर्स वर्क करना होगा।

यदि संबंधित अभ्यर्थी को उक्त शर्तें स्वीकार हों तो वह इस अधिसूचना की दिनांक से 20 दिन की अवधि में उपर्युक्त वर्णित कार्य करना सुनिश्चित श्वकरें। निदेशक, (शोध)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संबंधित शोध केन्द्र के विभागाध्यक्ष/प्राचार्य को इस निवेदन के साथ कि इस अधिसूचना के जारी होने की दिनांक से 20 दिन की अवधि में यदि कोई अभ्यर्थी आवंटित शोध पर्यवेक्षक के पास कोर्स वर्क करने हेतु उक्त शर्तों की पूर्ति करते हुए ज्वाइनिंग रिपोर्ट देता है, तो उसे नियमित प्रवेश देते हुये उसकी ज्वाइनिंग रिपोर्ट एवं कोर्स वर्क शुल्क का डी.डी. अविलम्ब निदेशक शोध को अग्रेषित कराकर अनुग्रहीत करें।
2. संबंधित शोध पर्यवेक्षकगणों को इस उल्लेख के साथ कि वे आवंटित अभ्यर्थी की ज्वाइन रिपोर्ट एवं प्राप्त शुल्क का डी.डी. अग्रेषित कर अपने शोध केन्द्र के विभागाध्यक्ष अथवा प्राचार्य को भिजवायें जिससे वे उन्हें शोध अनुभाग को भिजवा सकें।
3. वैब एडमिनिस्ट्रेटर को इस निवेदन के साथ कि इस अधिसूचना को और आवेदन पत्र को वैब साईट पर अपलोड कराएं जिससे कि अभ्यर्थी उसे डाउनलोड कर सकें।
4. निजी सचिव-कुलपति, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर।
5. निजी सहायक- कुलसचिव, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर।
6. संबंधित अभ्यर्थीगण को डाक से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
7. संबंधित अभ्यर्थीगण की पत्रावली।
8. संबंधित शोध पर्यवेक्षक आवंटन समिति की पत्रावली।

सहायक कुलसचिव (शोध)